BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला रोगनग्रान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अनुचित लाभ कमाते हुए समाज विरोध क्रियाकलापों में संलिप्त होने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 28.07.2014 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 234/14 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.04.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 06.03.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सचिन को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर